2. **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः–** प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्षकारान ाबित हुआ है। साथ ही वादग्रस्त आराजी में प्रत्येक खातेदार का अपने हिस्से तक ुविधा का संतुलन निहित होना माना जाता है अतः सुविधा का सन्तुलन प्रत्येक खातेदार के पक्ष में माना जाता है। एवं यदि एक पक्ष किसी वादग्रस्त आराजी में किसी भी विशिष्ट भू भाग का रहन, बेचान, हस्तान्तरण करता है तो दूसरे पक्ष को अपूरणीय क्षति होने की पूर्ण संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः यह बिन्दू भी उभयपक्षकारान के पक्ष में साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में दोनों ही पक्षो को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना–पत्र सायलान बखूबी साबित होने स्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। **उभयपक्षकारान** को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा लाम्बिया तहसील जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 798/13 रकबा 12–15 बीघा, खसरा संख्या 233 रकबा 0–07 बीघा, खसरा संख्या 830 रकबा 3–05 बीघा, खसरा संख्या 861 रकबा 8–14 बीघा, खसरा संख्या 846 रकबा 5–07 बीघा, खसरा संख्या 944/3 रकबा 9–18 बीघा, खसरा संख्या 232 रकबा 7–06 बीघा, खसरा संख्या 229 रकबा 20–08 बीघा का रहन, बेचान, हस्तान्तरण नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)